राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांकः–F2(9123)/DOIT/ESTT/2020/01274/2023 जयपुर, दिनांकः 03/03/2023

कार्यालय आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वर्ष, 2018 में आयोजित कनिष्ठ सहायक की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित होने के फलस्वरुप राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के तहत् इस विभाग के आदेश कमांक एफ2(9091)डीओआईटी/संस्था/20/एमएल–833 दिनांक 10.07.2020 के द्वारा श्री रमेश चन्द कुमावत को अस्थाई आधार पर कनिष्ठ सहायक के पद पर दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रुप मे नियत पारिश्रमिक पर नियुक्ति प्रदान की गई थी, जिसके पश्चात् श्री रमेश चन्द कुमावत, कनिष्ठ सहायक ने अपने पद पर दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि निरन्तर संतोषजनक पूर्ण कर ली है को वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के नोटिफिकेशन प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अनुसार कनिष्ठ सहायक पद की Pay Matrix के अन्तर्गत L-5 लेविल पर वेतन एवं नियमानुसार भत्ते आहरित/वितरित करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र. सं.	मेरिट/ रोल नं.	कनिष्ठ सहायक का नाम	र्तमान पदस्थापित विभाग	प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	(परिवीक्षाधीन अवधि) पूर्ण होने की दिनांक	निर्धारित वेतन में उक्तानुसार निर्धारित वेतन के आधार पर वेतन आहरण एवं स्थाईकरण किये जाने की दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
01	1244	श्री रमेश चन्द कुमावत	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय जयपुर	15.07.2020 (मध्यान्ह पूर्व)	11.02.2023 कार्मिक को 212 दिवस का Dies Non (अकार्य दिवस) घोषित किये जाने के कारण इनके परिवीक्षाकाल में 212 दिवस की अभिवृद्धि की गयी।	12.02.2023

वित्त (नियम अनुभाग) के नोटिफिकेशन प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में श्री रमेश चन्द कुमावत, कनिष्ठ सहायक का कॉलम सं. 7 में उल्लेखित दिनांक से पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अनुसार कनिष्ठ सहायक पद का शिड्यूल– I (Part–B) की Pay Matrix के अन्तर्गत L-5 लेविल का न्यूनतम (First cell) की राशि रुपये 20800/– पर नियत किया जाता है।

उपर्युक्त कनिष्ठ सहायक का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा वित्तीय एवं लेखा नियमों में प्रावधानों के तहत किया जावेगा एवं नियमितिकरण/स्थाईकरण के आदेश एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि का इन्द्राज नियमानुसार संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका मे किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 13 के अनुसार उक्त श्री रमेश चन्द कुमावत की आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक 01.07.2023 होगी।

आज्ञा से,

SD
(विवेक कुमार)
प्रभारी अधिकारी(संस्थापन)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, जयपुर।
2. कार्यालयाध्यक्ष, सू. प्रौ. और संचार विभाग, मुख्यालय जयपुर।
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी, सू. प्रौ. और संचार विभाग, मुख्यालय जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, सू. प्रौ. और संचार विभाग, जयपुर।
5. श्री रमेश चन्द कुमावत, कनिष्ठ सहायक, सू. प्रौ. और संचार विभाग, मुख्यालय जयपुर।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

प्रशासनिक अधिकारी